राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प – नालपुर

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर – 73/2020

रामावतार पुत्र गणपत जाति जाट निवासी नालपुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.... वादी

ब–ना–म

1. धर्मपाल पुत्र मालाराम
2. रामनिवास पुत्र मालाराम जाति जांगिड़ निवासी नालपुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
3. तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

..........प्रतिवादीगण

दावा– खाता विभाजन

–:निर्णय:– **दिनांक 23–11–2021**

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 12–02–2021 को प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित किया गया कि ग्राम नालपुर पटवार हल्का नालपुर तहसील खेतड़ी स्थित जमाबंदी अंतिम चौसाला संवत् 2074 लगायत 2077 के खाता संख्या 313 खसरा नंबर 1043 रकबा 1.47 है. भूमि में वादी के 55/147 हिस्से की भूमि का खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 6.11.2004 को मध्य नजर रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र भिजवाने हेतु तहसीलदार, खेतड़ी को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी ने अपने पत्र क्रमांकः भू.अ./2021/955 दिनांक 26.03.2021 से न्यायालय के निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 राजस्व लोक अदालत कैम्प नालपुर में पेश हुई। उभय पक्षकारान को विभाजन प्रस्ताव पर सुना गया। उभय पक्षकारान ने तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 26–03–2021 के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। [illegible] पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 26–03–2021 (प्रदर्श–'अ–1 से अ–2' व [illegible] का सम्यक् अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 26–03–2021 (प्रदर्श–'अ–1 से अ–2' व 'ब') के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.07.11 14:28:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनूं)

आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 26–03–2021 (प्रदर्श–'अ–1 से अ–2' व 'ब') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 26–03–2021 (प्रदर्श–'अ–1 से अ–2' व 'ब') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें। तहसीलदार खेतड़ी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श–'ब' के अनुसार सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज लोक अदालत कैम्प नालपुर में दिनांक 23–11–2021 को मजमे आम में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.07.11 14:28:48 IST
Reason: SelfAttested